

जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी हु

नबदा देवी ५१५ ६१२ को ११

23-20

पत्रावली यथा हुई। ककील वादी
 के वादीया उपस्थित नहीं काल-का
 आवाज दिलखुद उपस्थित नहीं, एतद
 जाहिर होता है कि वादी, वादी ककील
 प्रकरण को चलाने से सज्ज नहीं रहते
 हैं। अतः ककील, वादीया ककील
 की अदम्य हजारी, अदम्य धरणी
 से प्रकरण सारिक किया जा रहा
 है। वादी ककील फौजदारी मुभाल
 होना चाहिए सुकल है।


जज बन्ड अधिकारी
 बारीकई (दोसा)

